तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 3292 / 2005 / चित्तौडगढ हेमराज वगैरहा बनाम रामनारायण वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

उपस्थित– श्री के.के.पुरोहित, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री रामसुख चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय
दिनांकः– 25–11–2019

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17–05–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी के समक्ष अप्रार्थीगण/वादीगण ने विवादित आराजी खसरा संख्या 199 व 197 की भूमि के संबंध में वाद एवं स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। स्थगन प्रार्थना पत्र की कार्यवाही में विचारण न्यायालय ने उपलब्ध रेकार्ड तथा दोनों पक्ष की बहस सुनकर आदेश दिनांक 22–3–2005 द्वारा वादीगण का कब्जाकाश्त नहीं मानते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 17–05–2005 से स्वीकार करते हुए वादीगण का अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने हस्तगत निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

हमने निगरानी के संबंध में उभयपक्ष की बहस सुनी।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 3292 / 2005 / चित्तौडगढ हेमराज वगैरहा बनाम रामनारायण वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने निगरानी मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। आगे बताया कि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में कब्जे का बिन्दु महत्वपूर्ण है। मामले में वादीगण आराजी पर अपने कब्जे को साबित नहीं किया है। उनका तर्क है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने के बावजूद भी अपीलीय न्यायालय ने उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया। उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक परिवेश में अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किए जाने से निरस्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने निगरानी स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17–05–2005 एवं वादीगण के अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र को मय खर्चे अपास्त किए जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत अप्रार्थीगण/वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत निगरानी का घोर विरोध करते हुए आक्षेपित निर्णय को तर्कसंगत, न्यायसंगत तथा विधि सम्मत होना बताते हुए निगरानी को खारिज करने की प्रार्थना की। उनका कहना है कि उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार प्रश्नगत आराजी उनके दादा के स्वामित्व की होने के कारण प्रार्थी का हक व हिस्सा है। अतः वादीगण प्रश्नगत रकबे के रेकार्डेड खातेदार है, जिन्हें पाबंद कर विचारण न्यायालय ने अनियमितता की है। उक्त विधिक परिवेश में आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत होने के कारण अहस्तक्षेपनीय है। अन्त में उन्होंने निगरानी खारिज कर आक्षेपित निर्णय को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की है। हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 3292 / 2005 / चित्तौडगढ हेमराज वगैरहा बनाम रामनारायण वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण अधिनियम की धारा 212 से संबंधित है। विधायिका की भावना के अनुसार ऐसे प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति जैसे घटकों का परीक्षण किया जाना अपेक्षित है। अप्रार्थीगण/वादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप ये उद्धरण लिया है कि प्रश्नगत आराजी में उनके दादा कालू का 1/2 हिस्सा होने के कारण उनका भी आराजी में स्वामित्व है। रेकार्ड से यह प्रथम दृष्टया पाया जाता है कि प्रश्नगत रकबा पैतृक सम्पत्ति है। जमाबंदी सम्वत 1984 में किए गए अंकन के अनुसार खसरा संख्या 197 व 199 सबराम, कालू पिता नवला के नाम दर्ज है, परन्तु बंदोबस्त की कार्यवाही में आराजियात अकेले सबराम के नाम दर्ज हो गई। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित तथ्य है कि प्रश्नगत रकबे में पारिवारिक सजरे के मद्देनजर वादीगण के दादा कालू का 1/2 हिस्सा होने से वादीगण का स्वामित्व प्रकट होता है। वैसे इस बिन्दु का अन्तिम निस्तारण मूल वाद के दौरान साक्ष्य से हो सकेगा, परन्तु हस्तगत प्रकरण केवल मात्र अधिनियम की धारा 212 का होने के कारण प्रथम दृष्टया कब्जे की स्थिति का आंकलन अपेक्षित है। प्रार्थी पक्ष में अपने नाम दर्ज आराजी पर निर्माण करना चाहते है तथा यदि वाद के अन्तिम निस्तारण से पूर्व ही आराजी के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है कि इससे वादीगण के हक पर असर पडना सम्भावित है। उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक परिवेश में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में प्रश्नगत रकबे के संबंध में प्रथम दृष्टया प्रकरण वादीगण के पक्ष में साबित होने के बावजूद भी विचारण न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को खारिज किया है, जिससे हम सहमत नहीं है। इसके विपरीत ऐसे दोषपूर्ण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 3292 / 2005 / चित्तौडगढ हेमराज वगैरहा बनाम रामनारायण वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय के विरूद्ध पेश की अपील में अपीलीय न्यायालय ने उपलब्ध रेकार्ड का विधिक परीक्षण कर अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने के तीनों महत्वूपर्ण बिन्दुओं प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति को विधिक परिधि में विरचित करते हुए विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का किसी प्रकार का कब्जा होना प्रमाणित नहीं माना है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उनके समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील में सारभूत तथ्यों का समावेश करते हुए अपील को स्वीकार किया है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निष्कर्ष विधि सम्मत है, जिनमें निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अतः हमारी सुविचारित राय में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी में किसी प्रकार का बल प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत होने के कारण उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रस्तुत निगरानी सारहीन पाये जाने के कारण निरस्त की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17-05-2005 को यथावत बहाल रखा जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली वाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भेजी जावे। **(प्रवीण गुप्ता)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 3292 / 2005 / चित्तौडगढ हेमराज वगैरहा बनाम रामनारायण वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए